भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून -248001
दूरभाष:0135-2650809
फैक्स.0135-2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी/यू.सी.पी./09/140/2021/एफ.सी./74 **दिनांक:26/04/2023**

सेवा में,

✓ अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः- जनपद-रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत नव सिर्जित राजकीय पालिटेक्निक चोपता (कूड़ादानकोट) में राजकीय पालिटेक्निकए चोपता के निर्माण हेतु 2.00 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु राजकीय पालिटेक्निक, चोपता, रूद्रप्रयाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (Online Proposal no. **FP/UK/Others/44711/2020**)

सन्दर्भः- कार्यालय- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 2315/FP/UK/Others/44711/2020 दिनांक 03.04.2023 (received online on 06.04.2023)

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 01.11.2022 का जवाब राज्य सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उल्लंघन के संबंध मेंए राज्य सरकार से अनुरोध है कि IFA 1927 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार मामले निपटन किया जाए। हालांकि, यदि किसी व्यक्ति/प्राधिकरण द्वारा कोई आदेश दिया गया है, तो उसका विवरण प्रदान करने का कष्ट करें ताकि FCA 1980 के तहत कार्रवाई की जा सके।

इसके अतिरिक्त आपको अवगत कराना है कि दिनांक 24.01.2022 के दिशानिर्देशों के अनुसार, एफ0सी0ए0 1980 के तहत अनुमोदन पर विचार करने हेतु किसी भी non-site specific activity प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता है। दिशानिर्देश इस प्रकार हैः-

"Utilization of forest area for establishing industries, construction of residential colonies, institutes, disposal of fly ash, rehabilitation of displaced persons, etc. are non-site-specific activities and cannot be considered on forest land as a rule. For that matter, no non-site-specific proposal can be entertained for considering approval under the FCA 1980. In' exceptional circumstances, residential projects upto one ha, can be considered for approval under FCA 1980 by the MoEF&CC, subject to appropriate justification and recommendation by the concerned State Government and the Regional Officer of the IRO of MoEFCC."

उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के अनुसरण में राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह उक्त उद्देश्य हेतु गैर-वन भूमि का चयन करने का कष्ट करें।

भवदीय,

25.4.23

(गजेंद्र प्रकाश नरवणे)
सहायक महानिरीक्षक (वन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(गजेंद्र प्रकाश नरवणे)
सहायक महानिरीक्षक (वन)